



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2715]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2013/अग्रहायण 14, 1935

No. 2715]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2013/AGRAHAYANA 14, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013

का.आ 3588(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद् संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06 नवंबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद् का पुनर्गठन किया गया;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं; अर्थात् :—

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 06 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325 (अ) और उसके संशोधन में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

| क्र.सं. | विश्वविद्यालय का नाम | निर्वाचित सदस्य का विवरण | चुनाव का तरीका |
|---------|--|---|---|
| 25. | श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिसन्तेनारी विश्वविद्यालय, गुडगाँव | डॉ. तीरथ दास डोगरा, कुलपति, श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिसन्तेनारी विश्वविद्यालय, बुधेरा, गुडगाँव, हरयाणा सी-17, साउथ सिटी-2, सोहना रोड, सेक्टर-49, गुडगाँव 122018 | शासी निकाय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित |

| | | | |
|-----|----------------|--|--|
| 26. | निम्स जयपुर | विश्वविद्यालय, प्रोफ. (डॉ.) बलवीर एस. तोमर, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज & रिसर्च, शोभा नगर, जयपुर-दिल्ली हाईवे, जयपुर 303121 | प्रबंधन बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित |
|-----|----------------|--|--|

[सं. वी 11013 /7/2013-एम ई पी-1]

डॉ विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ .138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2013

S.O. 3588(E).—Whereas on 6th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and as informed by the respective universities/health science universities, the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 3325(E) dated the 6th November, 2013 and amendments thereto, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

| S.No. | Name of the University | Details of the Elected Member | Mode of Election |
|-------|--|--|--|
| 25. | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurgaon | Dr. Tirath Das Dogra, Vice- Chancellor, Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Budhera, Gurgaon, Haryana. C-17, South City-2, Sohna Road, Sector-49, Gurgaon 122018 | Elected unanimously by Governing Body |
| 26. | NIMS University, Jaipur | Prof. (Dr.) Balvir S. Tomar, Professor of Paediatrics, National Institute of Medical Sciences & Research, Shobha Nagar, Jaipur-Delhi Highway, Jaipur 303121. | Elected unanimously by Board of Management |

[No. V.11013/7/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was publish in the Gazette of India *vide* number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).